



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006

Ekknnd i nkFkkz ds nq lk; kx , id voSk 0; ki kj ds fo: /n vUrjKzVh; fnol ij  
ukj dKfVDI vk; Dr dk l n's k



fot; dyl h

प्रतिवर्ष 26 जून मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस समाज में अवैध मादक पदार्थों के द्वारा व्याप्त समस्याओं से संघर्ष करने के लिए पुनः स्मरण कराने की दि 11 में मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार से, सम्पूर्ण विश्व के विकास पर गम्भीर नकारात्मक प्रभाव से अवगत कराता है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग सम्पूर्ण मानव जीवन एवं समुदाय को बर्बाद कर समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, युवा पीढ़ी का मादक पदार्थों की ओर आकर्षित होना हम सभी के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह विभाग मादक पदार्थों की मांग एवं आपूर्ति को नियंत्रण करने की दि 11 में अन्तर्राष्ट्रीय उपबन्धों के अधीन अपने दायित्व का निर्वाह करता है। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, पिछले काफी समय से मादक पदार्थों यथा अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन इत्यादि के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सघर्षरत् है। वर्तमान समय में मादक

पदार्थ के नये रूप यथा एमफ्टामाइन, एल.एस.डी., कई **New Psychoactive Substances (NPS)** इत्यादि ने समाज को डिजाइनर ड्रग्स के नाम पर अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो कि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। आधुनिक परिवेश में मरीजों को उपलब्ध होने वाली दवाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए दवा विक्रेताओं का ध्यान दवा वितरण के सही तरीकों की ओर आकर्षित किया जाता है।

हमारा प्रयास युवाओं एवं समाज की भागीदारी के साथ विकास को बढ़ावा देना और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध संघर्ष करना एवं इससे होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु उनके परिवारों को सहयोग देने का है,, जिससे कि हमारे बच्चे श्रेष्ठतम परिणाम के साथ शिक्षित व योग्य होकर समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकें। युवाओं को स्वास्थ्य एवं मादक पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उन्हें जागरूक करना समाज का कर्तव्य है।

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत भारत में मादक पदार्थों के अवैध अधिपत्य, उत्पादन, तस्करी एवं वित्त प्रदान करने से सम्बंधित आपराधिक गतिविधियों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है। मादक पदार्थों की तस्करी निष्प्रभावित करके मादक पदार्थ विहीन समाज बनाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें समाज से भी सहयोग/योगदान देने की अपेक्षा है। आज अगर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के प्रति आवश्यक कदम नहीं उठाये गये तो कल उपचार भी संभव नहीं हो सकेगा। इस अवसर पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मैं आपकी सहभागिता आमंत्रित करता हूँ ताकि हमारा समाज मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति सजग रहते हुए स्वस्थ खुहाल एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सके।

आइये, सतर्क नागरिक के रूप में मादक पदार्थों /ड्रग्स के विरुद्ध जंग में शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना फर्ज निभायें।

जय हिन्द,

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006  
फोन – 0751 2368121  
फैक्स – 0751 2368111

(विजय कलसी)  
नारकोटिक्स आयुक्त

ई-मेल : [narcom@sancharnet.in](mailto:narcom@sancharnet.in), [narcommr@cbn.nic.in](mailto:narcommr@cbn.nic.in),

[@i fke ckj e gh MXI dks uk dg](mailto:@i fke ckj e gh MXI dks uk dg)

